



राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड
A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013
ई-मेल : ceo-shauk@uk.gov.in



पत्रांक- रा0स्वा0प्रा0 / 2022-23 / 648

दिनांक 20 अगस्त, 2022

निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस

श्री अभिषेक जैन
उजाला हेल्थ केयर सर्विसेस लिमिटेड,
कचनाल गाजी, मानपुर रोड काशीपुर,
उधमसिंह नगर-244713, उत्तराखण्ड।
E-mail Id: abhishek@ujalahealthcare.com

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें (AB-PMJAY तथा AAUY) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय उजाला हेल्थ केयर सर्विसेस लिमिटेड, कचनाल गाजी, मानपुर रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया सिद्ध होने पर निम्न आरोप लगाया जाता है।

आरोप

हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2022 से 20 अगस्त, 2022 तक प्रस्तुत किये गये क्लेम्स के परीक्षण किये जाने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा निम्न अनियमितता प्रकाश में आई है :-

हॉस्पिटल द्वारा 10 केसेस में इमरजेंसी के आधार पर Pre-authorization लिया गया है। इन केसेस का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि इन केसेस की प्रकृति इमरजेंसी केसेस की नहीं है। इन केसेस की सूची तथा वे आधार जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन केसेस का इमरजेंसी में Pre-authorization गलत रूप में लिया गया है, इस निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस के साथ सलंगन है। सलंगनक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं हैं। यह भी प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल द्वारा रेफरल लिये जाने के अनिवार्य प्राविधान को Avoid करने के लिये इमरजेंसी केस दिखाकर Pre-authorization लिया गया है।

ke


उक्त आरोप से यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा इमरजेंसी में केसेस का Pre-authorization लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गार्डलाइन्स तथा NHA द्वारा निर्गत Claim Adjudication Manual में क्लेम हेतु निर्धारित किये गये अनिवार्य नियम एवं शर्तों का हॉस्पिटल द्वारा उल्लंघन किया गया है। हॉस्पिटल द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के फलस्वरूप न केवल अनावश्यक एवं अधिक क्लेम की धनराशि लेने का प्रयास किया गया है, वरन् मरीजों के इलाज की गुणवत्ता के साथ गंभीर Compromise किया गया है। हॉस्पिटल का यह कृत्य अनैतिक तो है ही, वरन् यह कपटपूर्ण/आपराधिक कृत्य भी प्रतीत होता है।

हॉस्पिटल पर इंगित आरोप में की अनियमितता से मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, अतः सम्यक विचार एवं परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गार्डलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितता/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर नियमानुसार अंतिम निर्णय होने तक हॉस्पिटल की Login Id को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाई भी की जाये किन्तु जो मरीज वर्तमान में हॉस्पिटल में इलाज प्राप्त कर रहे हैं उनका हॉस्पिटल द्वारा समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाय तथा इन केसेस के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई Offline Mode में की जायेगी।

हॉस्पिटल को उक्त आरोप के सम्बन्ध में इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गार्डलाइन्स के अन्तर्गत यह "कारण बताओ नोटिस" भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये गये अनुबंध एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गार्डलाइन्स के प्राविधानों के अनुसार क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डी-इम्पैनलमेंट कर दिया जाये। हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट गार्डलाइन्स के अनुसार हॉस्पिटल को इस "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए 5 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है। यदि हॉस्पिटल द्वारा 5 कार्य दिवसों में नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा हॉस्पिटल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यद्यपि उक्त आरोप के सम्बन्ध में स्वयं हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि यदि कोई अभिलेख हॉस्पिटल के स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तथा केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

के पास उपलब्ध हैं तो वह उक्त निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

यह निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस हॉस्पिटल को ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।



(वी० एस० टोलिया)
निदेशक –हॉस्पिटल मैनेजमेंट
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
4. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
6. आई०ई०सी०, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उजाला हेल्थ केयर सर्विसेस लिमिटेड, कचनाल गाजी, मानपुर रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड की सूचीबद्धता का अनुबन्ध निलम्बित होने के सम्बन्ध में जन-साधारण को अवगत कराने हेतु मीडिया में प्रकाशनार्थ।
7. गार्ड फाइल।



(वी० एस० टोलिया)
निदेशक –हॉस्पिटल मैनेजमेंट
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.08.2022 का सलग्नक

Findings in Emergency Cases of Ujala Health Care Services Ltd., Kashipur

for the period 14 Aug to 20 Aug 2022

S. No	Case No	Procedure	Complaints/ Provisional diagnosis	Observations
1	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D79142 9	Acute Febrile Illness	Fever since 7-8 days.	<ul style="list-style-type: none">• Vitals at the time of admission are normal, no fever.• No vital charts during stay in hospital uploaded in TMS.• The symptoms are not suggestive of emergency in nature• As per attached documents there is no indication of HDU admission. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
2.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D79150 8	Acute Febrile Illness	Chest pain and ghabhrahat	<ul style="list-style-type: none">• Vitals at the time of admission are normal, no fever.• No need for ICU without ventilator stays as per the documents.• The symptoms are not suggestive of emergency in nature• There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
3.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/L79148 6	Acute Febrile Illness	Chest pain and ghabhrahat	<ul style="list-style-type: none">• Vitals at the time of admission are normal, no fever.• No need for ICU without ventilator stays as per the documents.• The symptoms are not suggestive of emergency in nature• There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was</p>

W

				no need of emergency admission
4.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D79143 8	Severe anemia(MGO 64A)	Acidity and anxiety	<ul style="list-style-type: none"> The haemoglobin at the time of admission is 8.9 mgdl while as per STG for the package it should be lower than 7 mgdl. OPD converted into IPD as patient could have been managed in OPD. The symptoms are not suggestive of emergency in nature There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
5.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D79142 1	CAD(MG081 B)	Chest Heaviness and ghabhrahat	<ul style="list-style-type: none"> Vitals at the time of admission are normal, no fever. No need for ICU without ventilator stays as per the documents. The symptoms are not suggestive of emergency in nature <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
6	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D78900 5	Acute Febrile illness	Sudden faint and passage of urine	<ul style="list-style-type: none"> Vitals at the time of admission are normal, no fever. Moreover, the vitals were normal throughout stay. OPD converted into IPD as patient could have been managed in OPD. The symptoms are not suggestive of emergency in nature There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
7	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D79071 3	Severe anemia(MGO 64A)	k/c/o CA lung and pancytopenia	<ul style="list-style-type: none"> The haemoglobin at the time of admission is 8.9 mgdl while as per STG for the package it should be lower than 7 mgdl. No need for ICU without ventilator stays as per the documents The symptoms are not suggestive of emergency in nature

				<ul style="list-style-type: none"> There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
8.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D78979 3	Acute Febrile illness	Chest pain and ghabhrahahat	<ul style="list-style-type: none"> Vitals at the time of admission are normal, no fever. No need for ICU without ventilator stays as per the documents. The symptoms are not suggestive of emergency in nature There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
9	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D78996 0	Acute Febrile illness	Chest pain and ghabhrahahat	<ul style="list-style-type: none"> Vitals at the time of admission are normal, no fever. No need for ICU without ventilator stays as per the documents. The symptoms are not suggestive of emergency in nature There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>
10.	CASE/PS5/ HOSP5P026 64/D78928 3	Acute Febrile illness	Chest pain and radiating to left arm	<ul style="list-style-type: none"> Vitals at the time of admission are normal, no fever. No need for ICU without ventilator stays as per the documents. The symptoms are not suggestive of emergency in nature There is a mismatch between the symptoms/diagnosis of the patient and the package selected by the hospital. <p>Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission</p>

NS